रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 1976/पौष 19, 1897

No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 1976/PAUSA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 9th January 1976

S.O. 31(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the works (other than the works connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply) connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the said works for a period of six months with effect from 11th January, 1976.

[No. S.42025/7/75/D.I./A]

D. BANDYOPADHYAYA, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1976

का० आ० 31 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यत: नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली से संबंधित संकर्मों (जनता को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन अथवा प्रेषण से सम्बन्ध संकर्मों को छोड़कर) में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उक्त संकर्मों में हड़तालें रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त संकर्मों में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को एतद्द्वारा 11 जनवरी, 1976 से छ: मास की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करता है।

[सं० एस० 42025/7/75-डी I/(ए)]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976